न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा।

सिविल वाद संख्या- 412 वर्ष 2026

मोहन आदि बनाम योगेश आदि

1 वाद संस्थित होने का दिनांक-- 15-7-26
2 वाद का मूल्यांकन- 6,00,945/-
3 वादी अधिवक्ता का नाम- श्री राजेश कुमार अग्रवाल एड०
4 प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम-
5 वाद का प्रकार- स्थायी निषेधाज्ञा

15-7-2026

मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

वाद नियमानुसार पंजीकृत हो।

प्रतिवादीगण को समन वास्ते प्रस्तुत करने प्रतिवादपत्र एवं वास्ते विरचित किये जाने वाद बिन्दु दिनांक 24.08.2026 के लिए नियमानुसार जारी किए जावें। वादी द्वारा इस हेतु पैरवी अन्दर तीन दिन की जावे।

15/7/26

(अनुपम दीक्षित)
सिविल जज, (सी०डि०)
मथुरा।
ID No.–UP2234

15.07.2026

प्रार्थनापत्र कागज सं०–10ग

पत्रावली पेश हुई।

कार्यालय आख्या के अनुसार केविएट दाखिल होना नहीं पाया गया है।

प्रार्थनापत्र 10ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा समर्थित शपथपत्र 11ग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित सम्पत्ति, आराजी खाता सं०-00404 खसरा सं०-204 रकवा 4.1320 है०, स्थित मौजा सुनरख बांगर, तहसील व जिला मथुरा, के संदर्भ में स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति हेतु योजित किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त विवादित सम्पत्ति के मालिक वादी, प्रतिवादीगण असली एवं तरतीवी प्रतिवादी संयुक्त रूप से हैं। वादी द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं०-1 व 2 ने प्रश्नगत सम्पत्ति आराजी में अपने हिस्से में से रकवा 0.11973 है० सम्पत्ति को जरिये बैनामा दिनांकित 12.02.2023 कृष्ण कुमार खण्डेलवाल व कपिल जग्गी को बेचा, जिनसे उक्त सम्पत्ति वादी व तरतीवी प्रतिवादी ने खरीद ली। वादी का कथन है कि राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम प्रतिवादीगण के साथ दर्ज है। वादी द्वारा यह भी कथन किया गया कि सम्पत्ति का कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रश्नगत सम्पत्ति पर सभी का संयुक्त कब्जा है। प्रतिवादीगण असली बिना बंटवारा कराये प्रश्नगत सम्पत्ति में निर्माण करना चाहते हैं तथा प्रतिवादीगण असली वादी व तरतीवी प्रतिवादी को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। वादी की ओर से प्रश्नगत सम्पत्ति की खतौनी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी का नाम अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति उभयपक्ष के सहस्वामित्व में हैं। सहस्वामित्व की सम्पत्ति के संदर्भ में विधिक सिद्धांत यह है कि सहस्वामित्व की सम्पत्ति पर प्रत्येक सहस्वामी का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। एक सहस्वामी दूसरे सहस्वामी के अधिकारों के विपरीत निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता, परन्तु यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक सहस्वामी को संयुक्त सम्पत्ति पर संयुक्त कब्जे का अधिकार प्राप्त है।

अतः उक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थिति के दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में विवादित सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा तथा वाद की बहुलता को रोकने के उद्देश्य से उभयपक्ष को आदेशित किया

Scanned with OKEN Scanner

जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखेंगे। वादी आदेश 39 नियम सी०पी०सी० से सम्बन्धित पैरवी अविलम्ब करें।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थनापत्र 10 ग दिनांक 03.08.2026 को पेश हो।

(अनुपम दीक्षित)
सिविल जज, (सी०डि०)
मथुरा।
ID No.–UP.2234

प्रार्थनापत्र कागज सं०–12 ग

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र पर 12 ग बाबत मौके की अमीन आख्या मंगाये जाने पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रार्थनापत्र 12 ग अमीन अदालत को मौका मुआयना कर मौके की आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अदालत अमीन को आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सूचित करते हुए विवादित स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वादी आवश्यक पैरवी अन्दर तीन दिन करे। तदनुसार प्रार्थनापत्र 12 ग निस्तारित किया जाता है।

(अनुपम दीक्षित)
सिविल जज, (सी०डि०)
मथुरा।
ID No.–UP2234

17-7-26

इ0जे0 शपथ पत्र-13 ग जारी वादी अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया आदेश 39 नियम 03 की पैरवी की गयी।

CJ(SD)

10/08/26

पत्रावली पेश हुई। पी0 महोदय अवकाश पर हैं। वास्ते आ0/नि0 10 ग दिनांक 10/8/26 को पेश हो।

[illegible]

3-8-26

आज अमीन रिपोर्ट मय नक्शा 16 ग प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली की जाय। नियत तिथि को पेश हो।

CJ(SD)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, मथुरा।

वाद सं0 4-12 सन्–2026

चेतन गर्ग उम्र करीब 40 साल पुत्र श्री कृष्ण गर्ग निवासी–एफ–92 द्वितीयतल न्यू सारस्वती अपार्टमेन्ट सेक्टर–9, रोहिणी उत्तर–पश्चिमी दिल्ली।

––––––––प्रार्थी / वादी

बनाम्

1 योगेन्द्रपाल सिंह उम्र करीब 40 साल पुत्र श्री देवेन्द्रपाल सिंह।

2 श्रीमती मीनाकुमारी उम्र करीब 58 साल पत्नी श्री देवेन्द्रपाल सिंह।

3– कृष्णपाल सिंह उम्र करीब 38 साल।

4 राजीव कुमार सिंह उम्र करीब 36 साल।

5– हरेन्द्रपाल सिंह उम्र करीब 35 साल।

पुत्रगण स्व0 श्री देवेन्द्रपाल सिंह निवासीगण राधानिवास वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा।

6 श्रीमती उर्मिला उम्र करीब 40 साल पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह निवासी दयालपुर, तहसील बल्लभगढ़ व जिला फरीदाबाद (हरि0)।

7 देवेन्द्रपाल सिंह उम्र करीब बालिग साल पुत्र श्री डोरीलाल निवासी राधानिवास वृन्दावन तहसील व जिला–मथुरा।

प्रतिवादीगण असली

8– तीर्थ चंद गर्ग उम्र करीब 50 साल पुत्र श्री इन्दर सैन [illegible] निवासी फ्लैट नं0 407 चतुर्थतल ब्लॉक सी–1 श्री साई धाम अपार्टमेन्ट्स से0 [illegible] रोहिणी उत्तर पश्चिमी दिल्ली

तरतीबी प्रतिवादी

वाद का मूल्यांकन
वाद बावत निषेधाज्ञा
देय न्यायशुल्क

उपरोक्त वादी निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

1 यह कि वादी एक किता आराजी जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के अन्त पर दर्ज है का मालिक काबिज व दखील प्रतिवादीगण असली व तरतीबी प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से चला आता है।

2 यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 ने प्रश्नगत आराजी में अपने हिस्से में से रकवा 0.11973 हैक्टेयर बजरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक-- 13/02/2023 को कृष्ण कुमार खण्डेलवाल एच.यू.एफ. कर्ता पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद खण्डेलवाल निवासी-202/20 गीता एन्कलेव कृष्णा नगर, मथुरा व कपिल जग्गी पुत्र श्री शोरिलाल जग्गी निवासी--2180 डैम्पीयर नगर, मथुरा को विक्रय कर दिया।

3 यह कि कृष्ण कुमार खण्डेलवाल एच.यू.एफ. कर्ता पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद खण्डेलवाल निवासी 202/20 गीता एन्कलेव कृष्णा नगर, मथुरा व कपिल जग्गी पुत्र श्री शोरिलाल जग्गी निवासी--2180 डैम्पीयर नगर, मथुरा ने प्रतिवादी सं0- 1 व 2 से क्रय की गयी आराजी को वादी व तरतीबी प्रतिवादी को क्रय दिया।

4 यह कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम कागजातमाल में बतौर संक्रमणीय भूमिधर के दर्ज है।

5- यह कि प्रश्नगत आराजी का कोई विधिक बटवारा नही हुआ यानि कोई कुराबन्दी नही हुई है।

6 यह कि प्रश्नगत आराजी/सम्पत्ति शामलाती है और आराजी के प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक हिस्सेदार का जब तक विधिक बटवारा न हो जाये तब तक संयुक्त कब्जा माना जावेगा।

नही है

8 यह कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी बाहरी व्यक्ति है, इसलिये प्रतिवादीगण की नीयत में खोट आ गया है और वह बिना बटवारा कराये प्रश्नगत सम्पत्ति मे निर्माण करना चाहते है जिसका कोई अधिकार प्रतिवादीगण असली को नही है।

9 यह कि वास्तविकता यह है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण असली से

बटवारा कराकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हिस्से को अलग कराने के बाद निर्माण करने की बाबत कहा तो प्रतिवादीगण असली प्रश्नगत आराजी के उत्तर की दिशा की ओर यानि खसरा सं0–208 व 211 जो कि सरकारी भूमि है में हिस्सा लेने की बात कहने लगे। तब वादी द्वारा खसरा सं0 204 का विधिक बटवारा कराने की बात कहते हुए अपना अलग कुरा बनवाने की बात कही। इस प्रतिवादीगण असली नाराज हो गये और बोले कि जो जमीन दे रहे ले लो अन्यथा कोई जमीन नही देंगे। प्रश्नगत आराजी / सम्पत्ति पर निर्माण कर लेंगे। तुम हमारा कुछ नही कर सकते।

10 यह कि वास्तविकता यह है कि वादी बैनामा के दिनांक से प्रश्न–गत आराजी / सम्पत्ति पर संयुक्त रूप से काबिज व दखील है। और ना ही प्रतिवादीगण असली को कोई अधिकार प्रश्नगत सम्पत्ति में से वादी को संयुक्त कब्जे से जबरन बेदखल कर कब्जा करने का ही है।

11– यह कि प्रतिवादीगण असली का उठना बैठना भू–माफिया किस्म के लोगो के साथ इसलिये प्रतिवादीगण असली के मन में बेईमानी आ गयी है। और स्थानीय पुलिस से साज किये हुए है।

12 यह कि प्रतिवादीगण असली दिनांक– 09 / 07 / 2026 को प्रश्नगत आराजी / सम्पत्ति पर आये और वादी को प्रश्नगत आराजी में संयुक्त कब्जे से जबरन बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास किया। जिसे वादी ने सम्भ्रान्त लोगो की मदद से बमुश्किल तमाम रोका जा सका तब प्रतिवादीगण असली जाते–जाते वादी को धमकी दे गये कि आज तो तू बच गया है किसी दिन कभी भी मौका लगते ही प्रश्नगत आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा कर निर्माण कर लेंगे या फिर प्रश्नगत आराजी / सम्पत्ति को किसी दीगर भू–माफिया किस्म के लोगों को विक्रय कर देंगे और तुझे झूँठे मुकदमें में जेल भेज देंगे।

13 यह कि वक्त दायरा तरतीबी प्रतिवादी मौजुद न होने के कारण तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है। उक्त वाद तरतीबी प्रतिवादी के नाम के लिये भी है।

14 यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण असली को बारहा समझाया गया कि अपना बेजा व नाजायज इरादा त्याग दें लेकिन प्रतिवादीगण असली ने वादी की कोई भी बात मानने व सुनने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। इसलिये वादी मजबूरन नालिशी बाबत निषेधाज्ञा के है।

15 यह कि वाद का कारण दिनांक 09/07/2026 को जबकि प्रतिवादीगण असली ने बेजा व नाजायज इरादा त्यागने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया माननीय न्यायालय की न्यायसीमा हाजा स्थान सुनरख बांगर तहसील व जिला–मथुरा में उत्पन्न हुआ और माननीय न्यायालय को उक्त वाद को श्रवण कर निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार हॉसिल है।

16 यह कि वाद का मूल्यांकन निर्धारण करने न्यायशुल्क लगान मु0--31.45 रुपया के तीस गुने मु0--943.50 रुपया व प्रश्नगत आराजी/सम्पत्ति के पास आवासीय गतिविध होने के कारण मु0--6,00,000/- कुल मु0 6,00,943.50 पर कायम किया जाता है स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 1/5 भाग यानि मु0--120188.70 रुपये पर कायम किया जाता है तथा अदा कर्दा न्यायशुल्क मु0 -500/- रुपया अदा किया जाता हैं।

अतः वादी प्रार्थी है :

1- यह कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण असली बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर का डिक्री किया जावे कि वादपत्र के अन्त में दर्ज प्रश्नगत आराजी/सम्पत्ति में बिना विधिक बटवारा कराये किसी प्रकार का निर्माण करके याकि माप व सीमांकन से विक्रय करके याकि किसी प्रकार से खोदा--खादी करके याकि किसी प्रकार से खुर्द--बुर्द करके याकि किसी प्रकार मिट्टी आदि निकालके याकि विक्रय करके याकि वादी को संयुक्त कब्जे से जबरन बेदखल कर कब्जा करके याकि वादी के संयुक्त रूप से जोतने, बोने व लाभान्वित होने याकि वादी के संयुक्त शान्तिपूर्ण आधिपत्य उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वयं याकि अपने नुमाइन्दगान के माध्यम से न करें।

2- यह कि अन्य कोई सुविधा माननीय राय अदालत जो वादी के पक्ष में हो खिलाफ प्रतिवादीगण असली के वह भी वादी को प्रतिवादीगण

Scanned with OKEN Scanner

1.5/10

असली से दिलाया जावे।

3 यह कि वाद का व्यय वादी को प्रतिवादीगण असली से दिलाया जावे।

<u>विवरण सम्पत्ति</u> :-

एक किता आराजी खाता सं0 00404 खसरा सं0--204 रकवा--4.1320 है0 लगानी 31.45 रुपया मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला--मथुरा में वादी व तरतीवी का हिस्सा रकवा 0.11973 हैक्टेयर।

<u>तस्दीक</u> :

वादपत्र के चरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, व 14 के कथन जातीय जानकारी से व चरण 15, व 16 के कथन कानूनी सलाह से सत्य एंव सही है कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है इसकी तस्दीक आज दिनांक--10/07/2026 को मुकाम व जिला मथुरा पर की गयी।

दिनांक : 10/07/2026

<u>प्रार्थी / वादी</u>

द्वारा

राकेश अग्रवाल
एडवोकेट

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा

वाद संख्या 412 सन् 2026

चेतन गर्ग बनाम योगेन्द्र पाल सिंह आदि

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0</u>

श्रीमानजी,

निवेदन है कि उक्त वाद वादी द्वारा सर्वथा असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत कर दिया गया है तथा तात्विक विशिष्टि (Material particular) के सम्बन्ध में मिथ्या व भ्रामक कथनों का उल्लेख करते हुए एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा एक वाद वाद संख्या 926 सन् 2025 चेतन गर्ग बनाम योगेन्द्र पाल सिंह आदि न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा में दिनांक 31-05-2025 को दायर किया गया था जो कि वर्तमान में स्थानान्तरित होकर न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय मथुरा में विचाराधीन चला आता है। उक्त वाद के वादपत्र आदि की नकलें प्रस्तुत वाद में दाखिल की गयी हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि वाद संख्या 926 सन् 2025 में उक्त वाद के वादीगण द्वारा स्वंय को विशिष्ट भाग का स्वामी दर्शाया है। प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं कि उक्त वाद के वादीगण विशिष्ट अंश के स्वामी हैं जबकि प्रस्तुत वाद में उक्त वाद के वादीगण द्वारा स्वंय को सहहिस्सेदार एवं सम्पत्ति को संयुक्त दर्शाते हुए वाद दायर किया है तथा उक्त वाद में भी न्यायालय के समक्ष मिथ्या व भ्रामक कथनो का उल्लेख करते हुए एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया है। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद में मूलवाद संख्या 926 सन् 2025 का कोई उल्लेख भी नहीं किया है तथा न्यायालय हाजा से उक्त वाद

के विषय में पूर्ण रूप से Concealment किया है इस प्रकार स्पष्ट है कि सारभूत तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत वाद के वादी द्वारा न्यायालय को धोखा देकर एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया है तथा इस प्रकार स्पष्ट तौर से वादी द्वारा न्यायालय के आदेशिका का दुरूपयोग (Abuse of process of court) किया है एवं कर रहा है। इसलिए आदेश दिनांक 15-07-2026 हर स्थिति में अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद तथा उक्त वाद में विरोधाभासी कथनों का उल्लेख किया है इस प्रकार वादी का आचरण अत्यन्त दूषित है तथा वह न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया है। न्यायाहित में उपरोक्त आधारों पर आदेश दिनांक 15-07-2026 प्रभावोन्मुक्त/ अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर आदेश दिनांक 15-07-2026 को प्रभावोन्मुक्त/ अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में उचित व वांछित आदेश पारित करने की कृपा की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनाकः 10/8/2026

प्रतिवादीगण

द्वारा - अधिवक्ता

[signature]

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, मथुरा।

वाद सं0–412 सन्–2026

चेतन गर्ग बनाम् योगेन्द्रपाल सिंह आदि

ऐतराज प्रतिवादीगण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सी0 पी0सी0 के विरूद्ध वादी की ओर से निम्न प्रकार हस्व जैल :–

1– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वादी के साथ बेईमानी करने व वादी को तंग व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है।

2– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सर्वथा गलत कथनों पर आधारित है।

3– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त वाद की सुन–वाई में देरी करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है।

4– यह कि प्रतिवादीगण का यह कहना सर्वथा गलत है कि वादी द्वारा सर्वथा असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत कर दिया हो याकि तात्विक विशिष्ट (Material Particular) के सम्बन्ध में मिथ्या व भ्रामक कथनों का उल्लेख करते हुए एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया हो याकि वाद सं0–926 सन्–2025 में उक्त वाद के वादी–गण द्वारा स्वयं को विशिष्ट भाग का स्वामी दर्शाया गया हो याकि प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हों याकि उक्त वाद वादीगण विशिष्ट अंश के स्वामी हों याकि प्रस्तुत वाद में उक्त वाद के वादीगण द्वारा स्वयं को सहहिस्सेदार एंव सम्पत्ति को संयुक्त दर्शाते हुए वाद किया है, याकि उक्त वाद में भी न्यायालय के समक्ष मिथ्या व भ्रामक कथनों का उल्लेख करते हुए एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया हो याकि यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद में मूलवाद सं0–926 सन्–2025 का कोई उल्लेख नही किया हो याकि न्यायालय हाजा से उक्त वाद के विषय में पूर्ण रूप से Concealment किया हो याकि इस प्रकार स्पष्ट हो कि सारभूत तथ्यों को छुपाते हुए

S.V.
copy

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत वाद के वादी द्वारा न्यायालय को धोखा देकर एकपखीय आदेश प्राप्त किया हो याकि इस प्रकार स्पष्ट तौर से वादी द्वारा न्यायालय के आदेशिका का दुरूपयोग (**Abuse of Process of court**) किया हो याकि कर रहा हो याकि आदेश दिनांक–15/07/2026 हर स्थिति में अपास्त किये जाने योग्य हो याकि विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद तथा उक्त वाद में विरोधाभासी कथनों का उल्लेख किया गया हो याकि इस प्रकार वादी का आचरण अत्यन्त दूषित हो याकि वह क्लीन हैण्ड से नही आया हो याकि न्यायहित में उपरोक्त आधारों पर आदेश दिनांक–15/07/2026 प्रभावोन्मुक्त/आपास्त किये जाने योग्य हो। कुल कथन बंदनीयती पूर्वक महज उक्त प्रार्थना–पत्र को रंगत देने व वादी को तंग व परेशान करने की गरज से दिया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सं0–926 सन्–2025 निषेद्याज्ञा का साधारण वाद है। वाद सं0–926 सन्–2025 में चाही गयी सुविधा व वाद का कारण बिल्कूल अलग है।

5– यह कि उक्त वाद भी निषेद्याज्ञा का साधारण वाद है। जिसमें चाही गयी सुविधा और वाद का कारण बिल्कूल अलग है। इसलिये उक्त वाद के वादी ने किसी भी तथ्य को नही छुपाया है।

6– यह कि वाद सं0–926 सन्–2025 में पक्षकार अलग है और उक्त वाद में पक्षकार अलग है।

7– यह कि वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत आराजी का आज दिनांक तक कोई कुरा बटवारा नही हुआ है वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं0–8 का नाम राजस्व कागजात में बतौर सहसंक्रमणीय भूमिधर के प्रतिवादी गण के साथ चला आता है। जहॉ तक प्रश्न किसी विशिष्ट भाग का है, जब तक विधिक बटवारा नही हो जाता तब किसी एक सह हिस्से–दार को विशिष्ट भाग का मालिक कानूनन नही माना जा सकता।

8– यह कि वास्तविकता यह है कि वाद सं0–926 सन्–2025 के दौरान उत्पन्न हुई नई परिस्थितियों के कारण नया वाद लाने की आवश्यकता हुई।

9– यह कि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–

Scanned with OKEN Scanner

पत्र मे न तो कोई वाद का कारण, और ना ही वादी के सह स्वामित्व, व और ना ही वादी के सहकब्जे को किसी प्रकार से कोई चुनौती दी है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र वादी के अस्थाई प्रार्थना–पत्र संलग्न क शपथपत्र को मूक सहमति प्रदान करता है।

10– यह कि वादी प्रतिवादीगण ने अस्थाई प्रार्थना–पत्र संलग्नक शपथ –पत्र के कथनों को अपने उत्तर शपथपत्र के माध्यम से कोई जबाब नही दिया है।

11– यह कि प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ कोई शपथपत्र दाखिल नही किया है। इसलिये प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र शपथपत्र के अभाव में अविश्वसनीय, व अप्रभावी है। तथा कतई सुने जाने योग्य नही है। और इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है।

12– यह कि वास्तविकता यह है कि वादगत सम्पत्ति वादी के सह स्वामित्व की है मौके पर सह स्वामी के रूप में मौके पर वादी का कब्जा है। और कानूनन कब्जा माना जावेगा। राजस्व कागजात में वादी का नाम बतौर सह संक्रमणीय भूमिधर के दर्ज है।

13– यह कि वादी को हॉसिल अस्थाई निषेधाज्ञा दौरान वाद गुण–दोष के आधार पर स्थिर रहने योग्य है। तथा प्रतिवादीगण का प्रार्थना –पत्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

14– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 की परिधि में नही आता है। शेष कथन वक्त बहस कहे जावेंगे।

15– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कानूनन पोषणीय नही है।

16– यह कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जा के खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी / वादी

दिनांक: 17 / 08 / 2026

द्वारा

राकेश अग्रवाल
एडवोकेट

Scanned with OKEN Scanner